

दिनांक 09.09.2022 को जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र एवं उप समिति तथा एकल खिड़की सुगमता व्यवस्था की बैठक का एजेण्डा ।

1. मिनी औद्योगिक आस्थान में स्थापित इकाइयों की समस्याओं पर चर्चा:

2. जनपद की औद्योगिक इकाई को विद्युत संयोजन स्वीकृति:-

विभाग के अधीन पंजीकृत इकाइयों को विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान में विद्युत विभाग में जनपद की किसी भी औद्योगिक इकाई का विद्युत संयोजन प्रकरण लम्बित नहीं है।

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति- 2015 के तहत औद्योगिक इकाइयों को ब्याज उपादान स्वीकृति:- उत्तराखण्ड शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग की अधिसूचना संख्या 2287/सात-दो/15/146- एमएसएमई/ 2013, दिनांक 03 दिसम्बर 2015 के प्रस्तर 3.2 के अन्तर्गत ब्याज उपादान की मात्रा व सीमा श्रेणी-ए के जनपदों/क्षेत्रों के उद्यमियों हेतु 10 प्रतिशत अधिकतम रु. 08.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष दिये जाने का प्राविधान है। निम्नांकित औद्योगिक इकाइयों के ब्याज उपादान का प्रकरण बैंक से प्राप्त हुए हैं।

इकाई का नाम	ऋण का प्रकार	वितरित ऋण लाख रु. में	वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत	अवधि	कुल ब्याज धनराशि रु. में	उद्यमी द्वारा वहन की जानेवाली धनराशि	10 % की दर से ब्याज उपा.की धन. या एक वर्ष में अधिकतम् 08 लाख
1. मै. चार मचान रिसोर्ट भेतसेम, गुप्तकाशी	सावधि ऋण	100.00	09.90	01.04.22 से 30.06.22	47,802.00	—	47,802.00
2. मै. होटल एंड रेस्टोरेंट ब्लू ऑरचिड, झिरमोली	सावधि ऋण	82.50	09.25	01.04.22 से 30.06.22	1,11,419.00	—	1,11,419.00
3. नंदा रिसोर्ट, बडासू	सावधि ऋण	200.00	11.10	01.04.22 से 30.06.22	6,22,510.00	61,690.00	5,60,820.00
4. होटल मधुगंगा, ऊखीमठ	सावधि ऋण 1	99.64	10.90	01.04.22 से 30.06.22	2,04,227.00	16,863.00	1,87,364.00
	सावधि ऋण 2	100.00	10.25	01.04.22 से 30.06.22	2,14,342.00	5,228.00	2,09,114.00
	योग				4,18,569.00	22,091.00	3,96,478.00
5. मै. टूरिया हैली रिसोर्ट, जामू	सावधि ऋण	67.50	10.30	01.04.22 से 30.06.22	44,072.00	1,284.00	42,788.00
6. मै. शिवालिक वैली इन, कोनगढ़ सीतापुर	सावधि ऋण	140.00	08.80	03.03.21 से 31.03.21	30,043.00	—	30,043.00
				01.04.21 से 31.03.22	7,84,072.00	—	7,84,072.00
				01.04.22 से 30.06.22	2,89,512.00	—	2,89,512.00
				योग	11,03,627.00	—	11,03,627.00
महायोग:					23,47,999.00	85,065.00	22,62,934.00

समिति से अनुरोध है कि उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों को ब्याज उपादान की धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करें।

4. एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 पर विचार:—

एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन नियमावली 2015 के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी आवेदन पत्र विभाग में लम्बित नहीं है।

5. अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:—